[2019] 1 एस.सी.आर. 820

एन. शंकरनारायणन

बनाम

अध्यक्ष, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 7390-7391/2009)

31 जनवरी, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - रिट याचिका - उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के बीच अपने व्यक्तिगत संपत्ति अधिकार विवादों को निपटाने के लिए अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका की विचारणीयता - अवधारित किया गया : ऐसी रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है - ऐसे मामले में उपाय सिविल न्यायालयों में निहित है - अपीलकर्ता द्वारा उठाया जाने वाला विवाद अनिवार्य रूप से एक परिवार के सदस्यों के बीच एक निजी संपत्ति विवाद था जिसके अपीलकर्ता और उत्तरदाता संख्या 2 सदस्य हैं - अप्रत्यक्ष तरीकों से, संपत्तियों के संबंध में राज्य और उसके अधिकारियों के खिलाफ परमादेश जारी करने की मांग के लिए अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका में उल्लिखित प्रकृति के निजी पक्षों के बीच विवाद को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती - इससे भी अधिक, रिट याचिका सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति की क्षमता में दायर नहीं की गई थी।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अवधारित किया:

1.1 आक्षेपित आदेश में डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की जाती है। अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका पूरी तरह से गलत थी। डिवीजन बेंच ने सही कहा कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी रिट याचिका में उठाया गया विवाद अनिवार्य रूप से एक परिवार के सदस्यों के बीच एक निजी संपत्ति विवाद था, जिसमें अपीलकर्ता और उत्तरदाता संख्या 2 सदस्य हैं। रिट याचिकाकर्ता (अपीलकर्ता) द्वारा रिट याचिका दायर करके अपनाए गए अप्रत्यक्ष साधनों से, उल्लिखित प्रकृति के निजी पक्षों को संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ताकि संबंधित संपत्तियों के संबंध में राज्य और उसके अधिकारियों के खिलाफ परमादेश जारी करने की मांग की जा सके। [पैरा 14, 15, 16] [824-जी-एच; 825-ए-सी]

1.2 अपीलकर्ता ने सार्वजनिक रूप से उत्साही व्यक्ति अर्थात जनहित याचिका (पी.आई.एल.) के रूप में अपनी क्षमता में रिट याचिका दायर नहीं की। दूसरी ओर, तमिलनाडु आवास बोर्ड के अध्यक्ष एन. शंकरनारायणन बनाम तमिलनाडु आवास बोर्ड के अध्यक्ष उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के बीच अपने व्यक्तिगत संपत्ति अधिकार विवादों को निपटाने के लिए अपीलकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से एक रिट याचिका दायर की गई थी। किसी भी निजी संपत्ति विवाद के संबंध में किसी भी निजी व्यक्ति के खिलाफ कोई रिट

जारी करने के लिए किसी भी रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में उपाय सिविल अदालतों में निहित है। [पैरा 17] [825-सी-डी]

1.3 प्रश्न जैसे कि, विचाराधीन भूमि का मालिक कौन है, अपीलकर्ता या उत्तरदाता संख्या 2 या उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य, क्या विचाराधीन भूमि को उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा उत्तरदाता संख्या 3 को छोड़ दिया गया था और यदि हां, तो कब, क्यों और किस उद्देश्य के लिए, उक्त भूमि (अपीलकर्ता या उत्तरदाता संख्या 2 या परिवार के किसी अन्य सदस्य) को छोड़ने का अधिकार किसके पास था। परिवार के सदस्यों के बीच विचाराधीन भूमि के संबंध में समझौता ज्ञापन में यदि कोई व्यवस्था की गई थी, तो क्या इसका उल्लंघन किया गया था या नहीं और यदि हां, तो किसके द्वारा, उक्त भूमि पर क्या गतिविधियां की जा रही हैं और यदि हां, तो किसके द्वारा, क्या ऐसी गतिविधियां कानूनी या अवैध हैं, आदि ऐसे प्रश्न नहीं हैं जो किसी निजी व्यक्ति द्वारा अन्य निजी व्यक्ति के खिलाफ उठाए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका। [पैरा 18] [825-ई-एफ]

1.4 भले ही रिट याचिकाकर्ता ने अभी तक रिट याचिका में राहत का दावा करने के लिए इन सवालों को स्पष्ट रूप से नहीं उठाया हो, लेकिन रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राहत देने पर विचार करते समय ऐसे सवालों का ठोस प्रभाव पड़ता है। [पैरा 19] [825-जी]

1.5 अपने निजी संपत्ति विवादों के संबंध में पक्षकारों के बीच कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष कुछ कार्यवाही लंबित है। यदि ऐसा है, तो ऐसी कार्यवाही के पक्षकारों को उचित राहत प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार सी.एल.बी. के समक्ष कार्यवाही पर मुकदमा चलाना होगा। [पैरा 20] [825-जी-एच; 826-ए]

1.6 क्षेत्राधिकार के अभाव में गुण-दोष के आधार पर कोई राय व्यक्त करना संभव नहीं है। पक्षकार एक-दूसरे के विरुद्ध उचित न्यायिक मंच पर अपनी शिकायतों के निर्णय के लिए सभी न्यायिक उपायों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो उन्हें कानून में उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करना राज्य प्राधिकारियों पर छोड़ दिया गया है। [पैरा 22, 23] [826-बी, सी-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7390-7391/2009 ।

2005 की रिट अपील संख्या 1499 और 2009 की सिविल अपील संख्या 7405-7406 के साथ 2005 की रिट याचिका संख्या 5718 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 04.03.2008 से।

सुश्री वी मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती प्रभा स्वामी, निखिल स्वामी, सुश्री दिव्या स्वामी, मेसर्स ए.पी. एंड जे चैंबर्स, एस गौतमन, वी प्रभाकर, सुश्री ज्योति पराशर, एनजे रामचंदर, श्रीमती रेवती राघवन, राजेश कुमार, एस थनंजयन, सुश्री शोभा राममूर्ति, श्री राम जे थलपति, शिल्प विनोद, पुष्किन राजकुमार, एस राजप्पा, सी परमसिवम, विनोद खन्ना बी., टी. हरीश कुमार,

श्रीमती प्रभा स्वामी, निखिल स्वामी, सुश्री दिव्या स्वामी, बी. बालाजी, श्रीराम पी., के. वी. विजय कुमार, सुश्री पुरबिता मित्रा, आर. नरेश राज, बी. विनोद कन्ना, अधिवक्तागणउपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति** द्वारा पारित किया गया।

सिविल अपील संख्या 7390-7391/2009

1. इन अपीलों को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2005 की रिट अपील संख्या 1499 और 2005 की रिट याचिका संख्या 5718 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट अपील और अपीलकर्ता द्वारा यहां दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

2. इन अपीलों में शामिल विवाद का मूल्यांकन करने के लिए, नीचे दिए गए कुछ प्रासंगिक तथ्यों को निर्धारित करना आवश्यक है।

3. अपीलकर्ता 2005 की रिट अपील संख्या 1499 में अपीलकर्ता है और 2005 के डब्ल्यूपी संख्या 5718 में रिट याचिकाकर्ता है, जबकि उत्तरदाता संख्या 6 में उक्त रिट अपील और रिट याचिका के उत्तरदाता हैं जिनसे ये अपीलें उत्पन्न होती हैं।

4. उपर्युक्त रिट याचिका में, एकल न्यायाधीश ने दिनांक 07.03.2005 को एक अंतरिम आदेश पारित किया। अपीलकर्ता (रिट याचिकाकर्ता) ने उक्त अंतरिम आदेश से व्यथित महसूस किया और खंडपीठ बेंच के समक्ष इंट्रा कोर्ट अपील दायर की।

5. खंडपीठ ने, पक्षकारों की सहमति से, मुख्य रिट याचिका पर ही गुण-दोष के आधार पर फैसला किया और उसमें कोई योग्यता नहीं पाते हुए अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया, जिसने इस न्यायालय में रिट याचिकाकर्ता द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से इन अपीलों को दायर करने को जन्म दिया है।

6. तिथियों, विशेष अनुमति याचिकाओं, रिट याचिकाओं, उसके प्रतिवाद, अपील में संलग्न दस्तावेजों की सूची और अंत में, आक्षेपित आदेश में खंडपीठ के निष्कर्षों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि विवाद, जो रिट याचिका का विषय था और जिसे अब रिट याचिकाकर्ता (यहां अपीलकर्ता) के कहने पर इन अपीलों में किया गया है, यह मूल रूप से एक परिवार के सदस्यों के बीच है जिनके पूर्वज स्वर्गीय एस नारायणपिल्लई थे। वह अपने पीछे छह बेटों को छोड़कर मर गये। स्वर्गीय एस. नारायणपिल्लई के पास कई संपत्तियां थीं, जो उनकी मृत्यु पर, उनके कानूनी प्रतिनिधियों को विरासत में मिली थीं।

7. स्वर्गीय एस. नारायणपिल्लई की मृत्यु पर उनके परिवार के सदस्यों के बीच विवाद उत्पन्न हुए। विवादों को हल करने के लिए, परिवार के सदस्यों ने 24.09.1998 को अपनी पारिवारिक संपत्तियों के संबंध में एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। दुर्भाग्य से, विवाद समाप्त नहीं हुए और दूसरी ओर, उनके बीच बने रहे, जिसके कारण कुछ सदस्यों द्वारा दूसरे के

खिलाफ कंपनी लॉ बोर्ड में मामले दायर किए गए और अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका भी दायर की गई।

8. विवाद, जो रिट याचिका का विषय है, जिसमें से ये अपीलें उत्पन्न होती हैं, उस भूमि के आसपास केंद्रित है जो चेन्नई में "अशोक नगर योजना" नामक एक योजना में स्थित है। विवाद अपीलकर्ता, जो परिवार के सदस्यों में से एक है और उत्तरदाता संख्या 2, जो परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा गठित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, के बीच है।

9. रिट याचिका में उत्तरदाता संख्या 2 के खिलाफ अपीलकर्ता की शिकायतों में से एक यह है कि उत्तरदाता संख्या 2 विचाराधीन भूमि के एक हिस्से पर एक पेट्रोल पंप चला रहा है और उसने इसका हिस्सा उत्तरदाता संख्या 3 को भी दे दिया है, जो बदले में, "उदयम कल्याण मंडपम" नाम से जनता के लिए मैरिज हॉल के रूप में इसका उपयोग कर रहा है। उत्तरदाता संख्या 2 के इस कृत्य पर उनके बीच अपीलकर्ता द्वारा आपत्ति जताई जा रही है।

10. इन पृष्ठभूमि तथ्यों और शिकायत के साथ, जिसे विस्तृत किया गया है, अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की और उसमें राज्य प्राधिकरणों अर्थात् तमिलनाडु आवास बोर्ड (आर -1), चेन्नई शहर नगर निगम (आर -4) और चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (आर -5) के खिलाफ परमादेश की रिट जारी करने के लिए अनुतोष मांगा, जिसमें उन्हें संयुक्त रूप से और अलग–अलग निर्देश दिया जाये कि वे उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के खिलाफ कानूनन उचित कार्रवाई करें और उन्हें जमीन पर अपनी गतिविधियों को जारी रखने से रोकें। अपीलकर्ता के अनुसार, विचाराधीन भूमि पर उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा की गई गतिविधियां अवैध, खतरनाक और सार्वजनिक सुरक्षा के खिलाफ हैं क्योंकि वे लागू कानूनों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की जा रही हैं।

11. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, खंडपीठ ने प्रस्तर 17 में निम्नलिखित कारणों के साथ रिट याचिका को खारिज कर दिया, जो निम्नानुसार है:

"17. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष अब उठाया गया विवाद मुख्य रूप से विभिन्न परिवार के सदस्यों के बीच एक निजी विवाद है, जो कंपनी के मामलों से संबंधित लोगों के अलावा बोर्ड में होने के दावों का विरोध कर रहे हैं। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि कंपनी छह भाइयों के परिवार के सदस्यों द्वारा आयोजित कंपनी है। वर्तमान विवाद कुछ और नहीं बल्कि यहां एक-दूसरे को अपनी-अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए एक परीक्षण है। श्री मुथुसामी के निदेशक पद पर बने रहने के संबंध में कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष एक याचिका विचारार्थ लंबित है। कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष याचिका के गुण-दोष जो भी हों, विभिन्न विवादों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें थिएटर द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र और मंडपम और पेट्रोल पंप के निर्माण के संदर्भ में विवाद शामिल है, इस न्यायालय ने 2007 के सीएमए नंबर 1900 में 19.9.2007 को पारित आदेश में कंपनी लॉ बोर्ड को 31.1.2008 तक मुख्य याचिका का निपटारा करने का सही निर्देश दिया है।"

12. इन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या उपरोक्त तर्क पर खंडपीठ द्वारा अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज करना उचित था।

13. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हम आक्षेपित आदेश में खंडपीठ द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष से सहमत हैं।

14. हमारी सुविचारित राय में भी, अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका पूरी तरह से गलत थी और प्रारंभिक स्तर पर खारिज होने योग्य थी।

15. जैसा कि खंडपीठ द्वारा सही कहा गया है, अपीलकर्ता द्वारा अपनी रिट याचिका में उठाया गया विवाद अनिवार्य रूप से एक परिवार के सदस्यों के बीच एक निजी संपत्ति विवाद था, जिसमें अपीलकर्ता और उत्तरदाता संख्या 2 सदस्य हैं।

16. रिट याचिका दायर करके रिट याचिकाकर्ता (अपीलकर्ता) द्वारा अप्रत्यक्ष साधनों का सहारा लिया गया, संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका में उपरोक्त प्रकृति के पारस्परिक निजी पक्षों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिससे संबंधित संपत्तियों के संबंध में राज्य और उसके अधिकारियों के खिलाफ परमादेश जारी करने की मांग की जा सके।

17. यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता ने सार्वजनिक-उत्साही व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमता यानी जनहित याचिका (पीआईएल) में रिट याचिका दायर नहीं की। दूसरी ओर, अपीलकर्ता द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के साथ अपने व्यक्तिगत संपत्ति अधिकार विवादों को निपटाने के लिए अनिवार्य रूप से एक रिट याचिका दायर की गई थी। यह एक स्थापित कानून है कि किसी भी निजी संपत्ति विवाद के संबंध में किसी भी निजी व्यक्ति के खिलाफ कोई रिट जारी करने के लिए किसी भी रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में उपाय सिविल न्यायालयों में निहित है।

18. दूसरे शब्दों में, यह एक स्थापित कानून है कि प्रश्न जैसे कि विचाराधीन भूमि का मालिक कौन है, अपीलकर्ता या उत्तरदाता नंबर 2 या उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य, क्या विचाराधीन भूमि को उत्तरदाता नंबर 2 द्वारा उत्तरदाता नंबर 3 को दिया गया था और यदि हां, तो कब, क्यों और किस उद्देश्य के लिए, उक्त भूमि (अपीलकर्ता या उत्तरदाता संख्या 2 या परिवार के किसी अन्य सदस्य) को छोड़ने का अधिकार किसके पास था, परिवार के सदस्यों के बीच संबंधित भूमि के संबंध में समझौता ज्ञापन में यदि कोई व्यवस्था की गई थी, तो क्या इसका उल्लंघन किया गया था या नहीं, और, यदि हां, तो किसके द्वारा, उक्त भूमि पर कौन-कौन सी गतिविधियां चलाई जा रही हैं और यदि हां, तो किसके द्वारा, क्या ऐसी गतिविधियां कानूनी या अवैध हैं, आदि ऐसे प्रश्न नहीं हैं जो किसी निजी व्यक्ति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में अन्य निजी व्यक्ति के खिलाफ उठाए जा सकते हैं।

19. भले ही रिट याचिकाकर्ता ने अभी तक रिट याचिका में राहत का दावा करने के लिए इन सवालों को स्पष्ट रूप से नहीं उठाया है, हमारे विचार में, रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता

द्वारा दावा की गई राहत के अनुदान पर विचार करते समय ऐसे सवालों का भौतिक प्रभाव पड़ता है।

20. यह विवाद में नहीं है कि उनके निजी संपत्ति विवादों के संबंध में पक्षकारों के बीच कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष कुछ कार्यवाही लंबित है। यदि ऐसा है, तो ऐसी कार्यवाही के पक्षकारों को उचित राहत प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार सी.एल.बी. के समक्ष कार्यवाही पर मुकदमा चलाना होगा।

21. अंत में, हम यह उल्लेख करना उचित पाते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। इसके बजाय, अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण कोई राय व्यक्त करना संभव नहीं है। इसलिए, पक्षकारों को एक-दूसरे के खिलाफ उचित न्यायिक मंच पर अपनी संबंधित शिकायतों के निर्णय के लिए कानून में उपलब्ध सभी न्यायिक उपायों का सहारा लेने की स्वतंत्रता होगी।

22. इसी प्रकार, यह देखना राज्य प्राधिकारियों का दायित्व है कि क्या किसी व्यक्ति ने संपत्तियों का उपयोग करते समय किसी अधिनियम या नियम या विनियम या सांविधिक योजनाओं के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है या कर रहा है या कर रहा है और, यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध और ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जा रही गतिविधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है। तथापि, हम इनमें से किसी भी मुद्दे पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं और कानून के अनुसार ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य प्राधिकारियों पर छोड़ते हैं।

23. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि संबंधित पक्षों के बीच ऐसे सभी विवादों का निर्णय न्यायालय/अधिकरण/प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा कानून के अनुसार सख्ती से किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में और इस न्यायालय द्वारा इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

24. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में और उपर्युक्त टिप्पणियों और स्वतंत्रता के साथ, हमें इन अपीलों में कोई दम नहीं मिलता है। इस प्रकार अपील विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दी जाती है। यदि कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है तो उसे रद्द कर दिया गया है।

<u>सिविल अपील संख्या 7405-7406/2009 में</u>

ये अपील उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा रिट याचिका और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2005 के डब्ल्यू.ए. संख्या 1499 और 2005 के डब्ल्यू.पी. संख्या 5718 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ रिट अपील में दायर की गई हैं। 2009 की सी.ए. संख्या 7390-7391 में ऊपर पारित आदेश के मद्देनजर इन अपीलों को भी खारिज किया जाता है।

निधि जैन। अपील खारिज की गई।

Digitally signed by DEVASHISH
Date: 2023.10.26 16:57:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court